

**Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation
Limited, Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005**

No: IPI/P.6/Policy/8/2021/272//2//

Date: 29, Sept., 2023

OFFICE ORDER (26/2023)

Sub: Modification in the Policy for providing land on rent cum license basis for establishment of a Dairy Booth in the service area of RIICO Industrial Areas.

An agenda item (21) was placed before the IDC in its meeting held on 21.09.2023. The Committee has accorded approval for partial modification in the policy regarding modalities of providing land on Rent cum License basis for establishment of Dairy Booth as under:

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सरस दुग्ध विक्रय केन्द्र (डेयरी बूथ) स्थापित करने हेतु भूमि किराया अनुज्ञप्ति के आधार पर दिये जाने की नीति:

Policy No.	Existing Provision	Modified Provision				
2	भूमि किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दिये जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया:					
(i)	प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध सर्विसेज हेतु नियोजित/आरक्षित रिक्त भूमि में एक सरस डेयरी बूथ हेतु अधिकतम 6 x 6 फीट का स्थान इकाई कार्यालय स्तर पर इस प्रकार से चिन्हित कर नियोजित किया जायेगा जिससे कि सर्विसेज की भूमि की उपयोगिता बाधित ना हो। एक औद्योगिक क्षेत्र में एक से अधिक सरस डेयरी बूथ स्थान नियोजन के लिए न्यूनतम 200 मीटर रेडियस दूरी का मापदण्ड लागू होगा।	प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध सर्विसेज हेतु नियोजित/आरक्षित रिक्त भूमि में एक डेयरी बूथ हेतु सरस दूध एवं दुग्ध उत्पादों की सम्पूर्ण श्रृंखला के भण्डारण एवं कोल्ड चेन की सुनिश्चितता हेतु अधिकतम 8 x 8 फीट का स्थान इकाई कार्यालय स्तर पर इस प्रकार से चिन्हित कर नियोजित किया जायेगा जिससे कि सर्विसेज की भूमि की उपयोगिता बाधित ना हो। एक औद्योगिक क्षेत्र में एक से अधिक डेयरी बूथ स्थान नियोजन के लिए न्यूनतम 200 मीटर रेडियस दूरी का मापदण्ड लागू होगा।				
(vi)	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्रत्येक बूथ के लिए रीको में किराया ₹ 1,000/- प्रति माह की दर से अग्रिम त्रैमासिक किराया जमा कराना होगा। उक्त किराये की दर में प्रत्येक 3 वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जावेगी। किराया राशि का भुगतान नहीं करने पर डेयरी बूथ हेतु किराया अनुज्ञप्ति आधार पर दी गई भूमि की अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी। किराया राशि पर देय जीएसटी भी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को जमा करानी होगी।	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्रत्येक बूथ आवंटन 15 वर्ष की अवधि के लिए एक मुश्त किराया निम्नानुसार जमा कराना होगा:- <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>स्थानीय निकाय की श्रेणी</th> <th>एक मुश्त किराया/लीज राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगर निगम</td> <td>₹ 15,000</td> </tr> </tbody> </table>	स्थानीय निकाय की श्रेणी	एक मुश्त किराया/लीज राशि	नगर निगम	₹ 15,000
स्थानीय निकाय की श्रेणी	एक मुश्त किराया/लीज राशि					
नगर निगम	₹ 15,000					

Don

		नगर परिषद	₹ 12,000
		नगर पालिका मण्डल	₹ 8,000
		किराया राशि पर देय जीएसटी भी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को जमा करानी होगी।	
(ix)	डेयरी बूथ हेतु किराया अनुज्ञप्ति पर दी गई भूमि पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा निर्धारित नियम/शर्तों की अनुपालना नहीं करने पर भूमि की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।	डेयरी बूथ हेतु किराया अनुज्ञप्ति पर दी गई भूमि पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड/डेयरी बूथ एजेन्ट द्वारा निर्धारित नियम/शर्तों की अनुपालना नहीं करने पर भूमि की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।	
(x)	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड से प्राधिकृत डेयरी बूथ संचालक द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ तथा बीडी, सिगरेट, गुटखा एवं जर्दा इत्यादि की बूथ पर भण्डारण/प्रदर्शन एवं बिक्री किये जाने पर किराया अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी।	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड से प्राधिकृत डेयरी बूथ संचालक द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ तथा बीडी, सिगरेट, गुटखा एवं जर्दा इत्यादि की बूथ पर भण्डारण/प्रदर्शन एवं बिक्री किये जाने पर किराया अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी। डेयरी बूथ पर बिक्री योग्य उत्पादों की सूची परिशिष्ट-‘1’ पर संलग्न है।	
(xiv)	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा बूथ का संचालन बंद कराये जाने की स्थिति में निगम द्वारा किया गया किराया अनुज्ञप्ति स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा बूथ का संचालन बंद कराये जाने की स्थिति में निगम द्वारा किया गया किराया अनुज्ञप्ति स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सम्बन्धित जिला दूध संघ आवश्यकतानुसार आवंटित डेयरी बूथ के सब-लाईसेंसी (बूथ संचालक) को बदलने हेतु प्राधिकृत होगा।	

The other provisions will remain the same.


Advisor (Infra)

Copy to:

1. Advisor (A&M)/Financial Advisor
2. CGM (SEZ)
3. GM (IT/PR)/GM (Civil)/GM (BP)
4. Addl. GM (Investment)/Addl. GM (EM)
5. OSD (Land)
6. Secretary, RIICO
7. Sr. DGM (Law)/DGM (Law)
8. Sr. DGM (HRD)
9. DGM (IT)- for uploading on website.
10. STP/SE (Power)/ DTP

P&D Cell Officers:

11. Addl. GM (P&D)/ Sr. DGM (P&D) /Sr.RM (P&D)(LCM)/(VK)/Manager (P&D)
12. All Unit Heads -----

Copy also to:

- (i) Sr. PS to Chairman, RIICO
- (ii) Sr. PS to MD, RIICO
- (iii) Sr. PS to ED, RIICO
- (iv) PS to Advisor (Infra)


(Sudhir Lohiya)
Sr. DGM (P&D)